उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

पत्रांकः– 2650 / व्यवस्था / 2023–24, दिनाँक : 24 नवम्बर, 2023

पूर्व में बने पुरानें पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में स्थित पुराने पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण करने के उपरान्त निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक फर्मों / ठेकेदारों से बंद लिफाफे में निविदा दरें रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट व आयोग काउन्टर पर दिनाँक 11 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न को निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी। निविदा लिफाफे के ऊपर **''पूर्व में बने पुराने पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण हेतु निविदा दरें''** अंकित किया जाए। निविदा के साथ रु. 20,000 /– (रु. बीस हजार) धनराशि की एफ.डी.आर. जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (Pledge) होगी, संलग्न की जाए।

इस हेतु शर्तें आदि आयोग की वेबसाइट www.pscuk.gov.in में देखे जा सकते हैं / डाउनलोड किए जा सकते हैं।

–SD–

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

पत्रांकः– 2650 / व्यवस्था / 2023–24, दिनाँक : 24 नवम्बर, 2023

पूर्व में बने पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय में स्थित पूर्व में बने पुराने पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण कर उसे निकली सामग्री का विक्रय किया जाना है, जिस हेतु स्थल का निरीक्षण किसी भी दिवस को आयोग कार्यालय में किया जा सकता है। पुस्तकालय भवन ध्वस्तीकरण एवं उससे निकली सामग्री का क्रय करने के इच्छुक फर्मों / ठेकेदारों से बंद लिफाफे में निविदा दरें रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट व आयोग काउन्टर पर दिनाँक 11.12.2023 को अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न को निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। डाक में विलम्ब डाक में विलम्ब के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इच्छुक निविदादाता अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उक्त तिथि को निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा लिफाफे के ऊपर **"पूर्व में बने पुराने पुस्तकालय भवन का ध्वस्तीकरण हेतु निविदा दरें"** अंकित किया जाए। निविदा के साथ रु. 20,000 / – (रु. बीस हजार मात्र) धनराशि की एफ.डी.आर. जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (Pledge) होगी, संलग्न की जाए। इस हेतु शर्तें आदि आयोग की वेबसाइट www.pscuk.gov.in में देखे जा सकते हैं / डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवश्यक शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. धरोहर राशि की एफ.डी.आर. संलग्न किये बिना किसी भी फर्म / ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. जिन फर्म / ठेकेदार की दरें सबसे अधिक होगी, उनकी दरें गठित कमेटी द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत की जायेगी एवं उनकी धरोहर राशि की एफ.डी.आर बतौर जमानत धनराशि के आयोग में जमा रहेगी। जिन फर्मों एवं ठेकेदारों की दरें कम होगी, उनकी धरोहर राशि की एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी, जिसे किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। भवन का ध्वस्तीकरण कर उससे निकली सामग्री का मलबा आयोग से तत्काल हटाया जाना आवश्यक होगा।
4. स्वीकृत ठेकेदार / फर्म भवन के ध्वस्तीकरण हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा इसके लिए कोई भी अतिरिक्त धनराशि भुगतान नहीं की जायेगी।
5. यदि स्वीकृत फर्म / ठेकेदार भवन का ध्वस्तीकरण समय से नहीं करते हैं तो उनकी धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर. जब्त करते हुए भवन के ध्वस्तीकरण हेतु आयोग अन्य व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. शासनादेशों के तहत जो भी टैक्स देय होंगे, स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को जमा करने होंगे।
7. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि के द्वारा भवन ध्वस्तीकरण हेतु यदि आयोग को कोई क्षति पहुँचायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का होगा।
8. निविदा से सम्बन्धित दरें अपने लैटर पैड पर प्रेषित की जाए। लैटन पैड के अन्तर्गत फर्म का पता, फोन/मोबाइल नम्बर भी अंकित होना आवश्यक है।
9. यदि समिति उचित एवं आवश्यक समझती है तो निविदादाताओं के मध्य खुली बोली की जा सकती है अथवा निगोशिएशन कर सकती है।
10. किसी भी विवाद की दशा में मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
11. किसी भी फर्म/ठेकेदार की निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को होगा।
12. अन्य शर्त जो भी होंगी, मौके पर अवगत करायी जायेंगी, जो सभी को मान्य होगी।

–SD–

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव